भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1666**

उत्तर देने की तारीख : 10.12.2025

**अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन**

**1666. श्री शफी परम्बिल:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ख) हाल के वर्षों में अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन में कमी के क्या कारण हैं; और

(ग) अल्पसंख्यकों के लिए योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के लाभार्थी छात्रों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) और (ख) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा के लिए कोई विशिष्ट बजटीय आवंटन नहीं किया जाता है। मंत्रालय ने छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया है। हालांकि, इन योजनाओं को 2021-22 के बाद लागू किए जाने हेतु मंजूरी नहीं दी गई है। इन 3 छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान किया गया बजटीय आवंटन अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग): मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के गरीब और मेधावी छात्रों को पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत 2019-20 से 2021-22 की अवधि के लिए लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुबंध-II में दी गई है।

*****

**अनुबंध-I**

("अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन" विषय पर दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1666 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध)

| 3 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत बजटीय आवंटन (राशि करोड़ रु. में) | | | |
|---|---|---|---|
| **योजना** | **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना** | **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** | **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना** |
| **वर्ष** | **आवंटन** | **आवंटन** | **आवंटन** |
| 2012-13 | 795.78 | 340.75 | 184.07 |
| 2013-14 | 982.30 | 542.53 | 268.60 |
| 2014-15 | 1130.00 | 598.50 | 350.00 |
| 2015-16 | 1040.10 | 580.10 | 335.00 |
| 2016-17 | 931.00 | 550.00 | 395.00 |
| 2017-18 | 1001.15 | 561.29 | 393.54 |
| 2018-19 | 1269.00 | 500.00 | 402.00 |
| 2019-20 | 1199.82 | 482.66 | 361.51 |
| 2020-21 | 1330.00 | 535.00 | 400.00 |
| 2021-22 | 1378.00 | 468.00 | 325.00 |
| **कुल** | **11057.15** | **5158.83** | **3414.72** |

**अनुबंध-II**

("अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन" विषय पर दिनांक 10.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1666 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध)

| मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना - वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान स्वीकृत छात्रवृत्तियों का विवरण | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **क्र.सं.** | **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
| | | **संस्वीकृत छात्रवृत्तियां** | | |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 3 | 4 | 3 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 3476 | 1808 | 2118 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 |
| 4 | असम | 6158 | 7216 | 9287 |
| 5 | बिहार | 6985 | 7933 | 6733 |
| 6 | चंडीगढ़ | 2 | 6 | 7 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 432 | 441 | 516 |
| 8 | दिल्ली | 384 | 376 | 295 |
| 9 | गोवा | 76 | 116 | 50 |
| 10 | गुजरात | 3037 | 2722 | 2731 |
| 11 | हरियाणा | 821 | 772 | 1029 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 30 | 32 | 51 |
| 13 | जम्मू एवं कश्मीर | 7702 | 8898 | 9392 |
| 14 | झारखंड | 1501 | 232 | 685 |
| 15 | कर्नाटक | 20779 | 22510 | 22161 |
| 16 | केरल | 26205 | 29630 | 32790 |
| 17 | लद्दाख | 0 | 130 | 81 |
| 18 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 2448 | 2216 | 2530 |
| 20 | महाराष्ट्र | 2814 | 2187 | 2335 |
| 21 | मणिपुर | 348 | 282 | 338 |
| 22 | मेघालय | 1322 | 1165 | 601 |
| 23 | मिजोरम | 1115 | 46 | 107 |
| 24 | नागालैंड | 1193 | 1193 | 1258 |
| 25 | ओडिशा | 436 | 392 | 466 |
| 26 | पुदुचेरी | 62 | 44 | 48 |
| 27 | पंजाब | 2410 | 1829 | 1716 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | राजस्थान | 3241 | 3173 | 2907 |
| 29 | सिक्किम | 18 | 34 | 51 |
| 30 | तमिलनाडु | 5685 | 5295 | 6856 |
| 31 | तेलंगाना | 3311 | 4065 | 4757 |
| 32 | दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव | 5 | 7 | 8 |
| 33 | त्रिपुरा | 81 | 111 | 94 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 10545 | 496 | 12387 |
| 35 | उत्तराखंड | 470 | 10154 | 658 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 5264 | 4856 | 6764 |
| | **कुल** | **118359** | **120371** | **131810** |